File No.CEA-SY-27-31/2/2021-Rajbhasha

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
राजभाषा अनुभाग
****

सं. सीईए-एसवाई-27-31/2/2021-राजभाषा दिनांक: 21 जून, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम- वर्ष 2022-23

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम की प्रति संलग्न है। इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वेबसाइट (राजभाषा नीति खंड) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग की वेबसाइट raajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निर्देशों के साथ-साथ संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में राजकीय कार्य करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तथा अपेक्षा की गई है कि लक्ष्य के अनुरूप हिंदी में कार्य किए जाएं।

2. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली, के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुखों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने प्रभाग/अनुभाग और कार्यालयों में यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक प्रयोग मौलिक रूप में हो जिससे कि वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके लिए वे स्वयं हिंदी में कार्य करने के साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में हिंदी में किये गए सरकारी कामकाज की समीक्षा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में नियमित रूप से की जाती है।

3. यह राजभाषा प्रभारी एवं मुख्य अभियंता, पीसीडी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रा.भा.) डा.सं. 837-902 दिनांक 22/6/2022 के.वि.प्रा.

संलग्न: यथोपरि

21/06/2022

(डॉ. ओम प्रकाश द्विवेदी)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

1. **केविप्रा के सभी प्रभाग/अनुभाग प्रमुख**
2. **केविप्रा के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख**

18-ए, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, एनआरपीसी परिसर, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
18-A, Qutab Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, NRPC Complex, Katwaria Sarai, New Delhi-110066
ईमेल/E-mail: rajbhashacea@gmail.com, वेबसाइट/Website: www.cea.nic.in

525205/2022/Official Language

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।